

प्ररूप 26  
(नियम 4क देखिए)



34- लक्सर

(निर्वाचन क्षेत्र से)

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधान सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

मैं, हाजी तस्लीम अब्दुल पुत्र/पुत्री/पत्नी नूर मोहम्मद  
आयु 59 वर्ष, जो ग्राम-पौ. सुल्तानपुर, ब्यालमपुर  
का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।  
(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं W.P.No. 56/2011-1  
15-29-2011  
(ii) पुलिस थाना (थाने) लक्सर जिला (जिले) हरिद्वार राज्य उत्तराखण्ड

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है ए.सी.जे. एम. लक्सर  
123 लोक प्रतिनिधित्व

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई हाईकोर्ट नैनीताल  
ए.सी.जे. एम. लक्सर

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था 19.9.2009

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं.....

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं

तस्लीम अब्दुल

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/ नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.....X.....

(ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है.....X.....

(iii) पुलिस थाना (थाने).....X..... जिला (जिले) ..X.....

.....X..... राज्य.....X.....

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है.....

(1) 123 लोक प्रतिनिधित्व अधि. 1951 (2) W.P No 56/2011 माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल  
(3) 3.3.3, 504, 506 IPC PS हरिद्वार (4) VS 3/7 आ.क.क. (5) 3 (4) (11) SC/ST Act

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे.....

(vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं.....

स्थान हरिद्वार  
तारीख 09-01-2012



सत्यापन

तसलीम अहमद

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

(तसलीम अहमद)

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गयी है।

हरिद्वार स्थान पर आज तारीख 08/11/12 को सत्यापित किया।

ATTESTED  
SURENDRA KUMAR  
NOTARY, ADVOCATE  
DISTY. COURT, HARDWAR

तसलीम अहमद

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

(तसलीम अहमद)

टिप्पणी :- इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिये जायें।

तसलीम अहमद





उत्तराखण्ड UTTARAKHAND



SN 71 / 811112



तस्मिन्महोदय